प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर, 2017**

विषयः- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समतुल्य सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान व अन्य भत्तों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पीजीआई/अधि0/आरएसडी-208/17/194/2017, दिनांक 23 मई, 2017 कर कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं अन्य अनुमन्य भत्ते की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में गैर शैक्षणिक संवर्ग के सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के समतुल्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01-01-2016 से अनुमन्य किए जाने पर सहमति देते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-3/1133/दस-2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 61/2017/3302/(1)/71-2-17-तदद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, श्री राज्यपाल/मा0 कुलाधिपति, राजभवन, उ0प्र0।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ।
9. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।